न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 01/2022

अनवान : –

1. दीपाराम उर्फ दलीप पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–सायल

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– असल गैरसायल

3. उजालाराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. केशर पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. चुन्नीराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. आयुब पुत्र बलवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी रामगढ़।
7. निशा पुत्री बलवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी रामगढ़।
8. सन्तोष पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
9. मनीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
10. रेशमी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
11. लिछमण पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
12. विनोद पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
13. शिशपाल उर्फ शिशराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– तरतीबी गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 142/141 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि सायल एवं तरतीबी गैरसायलान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 207–76 के खाता खंख्या 108/107 की कुल 2.5170 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:30:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल व गैरसायलान को अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 142 / 141 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है इसलिए भारी परेशानी हो रही है।

सायल व तरतीबी गैरसायलान अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए अपने गांव रामगढ़ तहसील नोहर से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल की भूमि प0न0 368 / 441 (52) के किला न0 5 / 2, 6, 15, 16 / 2 के मिन पूर्व प्रत्येक में 2–2 गट्ठा यानि 0. 025 हैक्ट भूमि से होते हुए अपने खेत प0न0 368 / 441(52) के किला न0 25 में प्रवेश करते है और यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त भूमि के बदले सायल व तरतीबी गैरसायल अपनी कृषि भूमि में से गैरसायल संख्या 1 के चिपती भूमि देने को तैयार है।

सायल ने गैरसायल को प0न0 368 / 441 (52) के किला न0 5 / 2, 6, 15, 16 / 2 के मिन पूर्व प्रत्येक में 2–2 गट्ठा यानि 0.025 हैक्ट भूमि का रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इंकार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 108 / 107 के प0न0 368 / 441(52) के किला न0 5 / 2, 6, 15, 16 / 2 के मिन पूर्व प्रत्येक में 2–2 गट्ठा यानि 0.025 हैक्ट रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावें सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को, जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थी को उसकी खातेदार भूमि में जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के संबंध में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जो कि शामिल मिसल किया गया। तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ता 13 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 ता 13 को कोई एतराज नही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 देने को तैयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें एवं रास्ते की बदले की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण एक दुसरे के खेत पड़ोसी है। प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के कथनों को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निवेदन किया की प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की रास्ता स्वीकृत करवाने मे सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख 108/107 के प0न0 368/441(52) के किला न0 5/2, 6, 15, 16/2 के मिन पूर्व प्रत्येक में 2-2 गट्ठा 0.025 हैक्ट भूमि तथा सायलान व तरतीबी गैरसायलान के खाता संख्या 142/141 के प0न0 368/441(52) के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0.025 हैक्ट यानि 2 गट्ठा भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में सायलान व तरतीबी गैरसायालन, गैरसायल संख्या 1 को रोही मौजा 20 डीपीएन के खाता संख्या 142/141 के प0न0 368/441(52) के किला न0 25 के मिन पूर्व रास्ता की भूमि को छोड़कर मिन दक्षिण की 10 फिट चौड़ी भूमि छोड़कर उत्तरी पूर्वी की 0.101 हैक्ट भूमि देगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तरे हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:08 IST
Reason: SelfAttested